न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान भरत सिह बनाम कान सिंह

मुकदमा संख्या/वर्ष टी0आई0 52/2023

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	30/1/25	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान सहाय धायल व अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 05, 07, 08, 09, 11, 12, 13 एवं 18 लगायत 22 की ओर से अधिवक्ता श्री अश्वनी कुमार शर्मा, अप्रार्थी संख्या 06 की ओर से अधिवक्ता श्री विजय कुमार कुमावत हाजिर। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम कालवाड़, पटवार हल्का कालवाड़, तह. कालवाड़ व जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 959 रकबा 0.7841 है0, खसरा नम्बर 963 रकबा 0.0885 है0, खसरा नम्बर 964/1 रकबा 2.7190 है0, खसरा नम्बर 965 रकबा 0.0379 है0, प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त, कब्जे काश्त, सहखातेदारी की कृषि भूमि है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण मनबट के अनुसार मौके पर अपने-अपने हिस्से पर काबिज है। अप्रार्थीगण द्वारा बिना विधिक विभाजन करवाये ही वादग्रस्त भूमि पर विक्रय, हस्तानान्तरण, खुर्द-बुर्द करने पर उतारू है। उन्हे उनकी कब्जे की भूमि से जबरिया बेदखल करने, बेचान, हस्तानान्तरण करने की ऐलानिया धमकी देते है। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर किसी विशिष्ट भू-भाग का बेचान, अन्तरण, हस्तानान्तरण, किसी प्रकार का निर्माण इत्यादि नहीं करने तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप, बाधा, रूकावट नहीं करने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद हेतु निवेदन किया गया है। अप्रार्थीगण की विधिवत् तामील पूर्ण करवाई गई। बावजूद सम्यक् तामील अप्रार्थी संख्या 10, 14 लगायत 17 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 05, 07, 08, 09, 11, 12, 13 एवं 18 लगायत 22 एवं अप्रार्थी संख्या 06 ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का जवाब पेश नहीं किया तथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा की बहस हेतु कोई उपस्थित नहीं आने पर प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन कर न्यायालय यह पाता है कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है, चूंकि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र, दावा बाबत् विभाजन के साथ पेश किया है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी एवं	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

30/1/25 अप्रार्थीगण सहखातेदार है। विवादित भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अविभाजित भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी का इंच टू इंच में हिस्सा निहित होता है।

अतः वाद बहुलता को रोकने एवं वाद की विषय–वस्तु को संरक्षित रखने हेतु प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 02 में वर्णित भूमि अवस्थित ग्राम कालवाड़, पटवार हल्का कालवाड़, तह. कालवाड़ व जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 959 रकबा 0.7841 है0, खसरा नम्बर 963 रकबा 0.0885 है0, खसरा नम्बर 964/1 रकबा 2.7190 है0, खसरा नम्बर 965 रकबा 0.0379 है0 पर उभयपक्षों को ताफैसला वाद मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30/01/2025 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम